न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1477 / 2026

रूपस सिंह उर्फ आदित्य सिंह उर्फ रूपक बनाम बिहार सरकार

हाजीपुर सदर थाना कांड सं0–698 / 2019

अधीन धारा–341, 323, 324, 307, 504, 379, 506 / 34 भा0 दं0 सं0।

Web Copy not Official

10.06.2026 हाजीपुर सदर थाना कांड सं0–698 / 2019, भारतीय दण्ड संहिता की धारा–341, 323, 324, 307, 504, 379, 506 / 34 में गिरफ्तारी की आशंका के कारण आवेदकगण **रूपस सिंह उर्फ आदित्य सिंह उर्फ रूपक उम्र–30 वर्ष पेसर–दिलीप कुमार सिंह** साकिन–खरिका, थाना–बिदुपुर, जिला–वैशाली वर्तमान पता–दिग्घी कला पूर्वी, थाना–हाजीपुर सदर, जिला–वैशाली के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता **श्री दिग्विजय नारायण सिंह** एवं बिहार सरकार के तरफ से **श्री श्याम बाबु राय** को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदन की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदकगण के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि, दिनांक–16.10.19 को समय करीब 21.30 बजे रात्रि में सूचक अपने पुत्र शिवम कुमार उम्र लगभग 18 वर्ष के साथ अपने फैक्ट्री मलमला चौक से अपने घर आ रहा था तभी रास्ते में नारायण हाट के नजदीक अपना मोटरसाईकिल खड़ा करके भरत दास के किराना दुकान के पास बिस्कूट खरीदने के लिए जा रहे थे तभी राजीव कुमार, रूपस सिंह तथा तीन अन्य अज्ञात व्यक्ति जिसे देखने पर सूचक पहचान सकता है आकर उसे गाली ग्लौज करने लगे जब सूचक मना किया तो राजीव कुमार अपने चार चक्का गाड़ी से जिसका नम्बर BR31AC/8031 ब्रेजा से लोहे का रड़ निकाल के मारा जो उसके हाथ में लगा तथा उसका बाया हाथ का गंसा फट गया। फिर दूसरी बार जान मारने के नियत से उसके सिर पर मारा जो उसके ओठ तथा मुँह पर लगा और फट गया। इसी बीच बचाने आये उसका पुत्र शिवम कुमार को जान मारने की नियत से रूपस सिंह ने तेज धारदार हथियार से मारा जिससे उसका सर पर ललाट के तरफ कट गया। उसके बाद उपरोक्त सभी मिलकर लाठी एवं लोहे के रड से मारकर जख्मी कर दिया। मारपीट के क्रम में सूचक के सोने का सिकड़ी राजीव कुमार छीन लिया और पॉकेट से बीस हजार रूपया रूपस सिंह निकाल लिया। हल्ला सुनकर अगल–बगल के लोग आये तो सभी अभियुक्तगण गाड़ी पर सवार होकर

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1477 / 2026
रूपस सिंह उर्फ आदित्य सिंह उर्फ रूपक बनाम बिहार सरकार

लगातार

10.06.2026 भाग गये।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदक निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि, आवेदक को इस मामला में झुंठा फंसाया गया है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक को अनुत्प्रेषित दिखाते हुए इस मामले के सह अभियुक्त राजीव कुमार के विरूद्व अंतर्गत धारा–341, 323, 324, 504, 506 / 34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप–पत्र समर्पित किया गया है लेकिन विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा आवेदक के विरूद्व धारा–324, 307, 341, 323, 504, 506 / 34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा–307 का आरोप नहीं बनता है। निवेदित है, आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक के अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, मूल अभिलेख सहित कांड दैनिकी एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है जिस पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक एवं उसके पुत्र को रास्ते में गाली ग्लौज करने, लोहे के रड से मारकर सूचक का बाया हाथ का गंसा फाड़ देने, ओठ तथा मुँह को जख्मी करने, सूचक के पुत्र शिवम कुमार को जान मारने की नियत से तेज धारदार हथियार से सर पर ललाट के तरफ काट देने, सूचक के सोने का सिकड़ी छीन लेने एवं पॉकेट से बीस हजार रूपया निकाल लेने का आरोप है। प्राथमिकी अनुसार आवेदक पर सूचक के पुत्र शिवम कुमार को तेज धारदार हथियार से सर पर ललाट के तरफ काट देने का आरोप है लेकिन कांड दैनिकी के साथ संलग्न कागजातों से विदित होता है कि जख्मी शिवम कुमार के जख्म को चिकित्सक द्वारा कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित जख्म जिसे साधारण प्रकृति का पाया गया है। मूल अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक को अनुत्प्रेषित दिखाते हुए इस मामले के सह अभियुक्त राजीव कुमार के विरूद्व अंतर्गत धारा–341, 323, 504, 506 / 34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप–पत्र समर्पित किया गया है

Web Copy Not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1477 / 2026

रूपस सिंह उर्फ आदित्य सिंह उर्फ रूपक बनाम बिहार सरकार

लगातार

10.06.2026 लेकिन विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक–06.08.2025 से आवेदक के विरूद्व धारा–324, 307, 341, 323, 504, 506 / 34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है। जमानत आवेदन की कंडिका 03 से विदित होता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों, अभिलेख पर उपलब्ध सामाग्रियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों को ध्यान में रखते हुये आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः इस आदेश की तिथि से चार सप्ताह के भीतर आवेदक द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आत्म–समर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की स्थिति में उपरोक्त नामित आवेदक को 10,000 / –(दस हजार रूपए) तथा उतनी ही समान राशि के दो प्रतिभूओं सहित धारा–482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की शर्तों के अधीन बंध पत्र दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत मामले में अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web copy not Official